



The Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation)
(Amendment) Act, 2018

Act 10 of 2018

Keyword(s):

Private Universities, College, Student, Fees

Amendments appended: 14 of 2018, 12 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018 — चैत्र 27, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्रमांक 3796/डी. 72/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-04-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“9.	एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	सोसायटी फॉर मीडिया आर्ट्स	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी	ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	● पत्रकारिता ● जन संचार ● मीडिया ● ललित कला ● प्रदर्शन कला ● दृश्य कला ● अनुप्रयुक्त कला में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम
10.	श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट	उप पंजीयक-सात, नई दिल्ली में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 2726, दिनांक 29-03-2000	शदानी दरबार के पास, ग्राम-धनेली, पोस्ट ऑफिस-माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	● विज्ञान ● व्यापार प्रबंधन ● वाणिज्य ● इंजीनियरिंग ● कला ● होटल प्रबंधन ● फैशन डिजाईनिंग में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम
11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	महर्षि शिक्षण संस्थान	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत एवं रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, दिल्ली, प्रशासन दिल्ली द्वारा अनुमोदित सोसाइटी	ग्राम-मंगला, तहसील एवं जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	● संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम/ योग, वैदिक साइंस, ज्योतिष, कीर्तन एवं अन्य दर्शन ● व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य / प्रबंधन/वित्त ● ललित कला/ प्रदर्शन कला/ दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला ● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/ यात्रा एवं पर्यटन ● कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान ● अभियांत्रिकी/डिजाईन में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम”

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्रमांक 3796/डी. 72/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-4-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2018)

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2018**

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- Short title, extent and commencement.** 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2018.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- Amendment of Schedule.** 2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“9.	AAFT University of Media and Arts	Society for Media Arts	Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860)	Village-Manth, Tehsil-Tilda, District-Raipur, Chhattisgarh (General Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Journalism • Mass Communication • Media • Fine Art • Performing Art • Visual Art • Applied Art
10.	Shri Rawatpura Sarkar University	Shri Rawatpura Sarkar Lok Kalyan Trust	Sub Registrar-VII, New Delhi under the Indian Trust Act, 1882, Registration No. 2726, dated 29-03-2000	Near Shadani Darbar, Village-Dhaneli, Post Office-Mana, Dhamtari Road, Tehsil and District-Raipur (Chhattisgarh)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Science • Business Management • Commerce • Engineering • Arts • Hotel Management • Fashion Designing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Maharishi University of Management and Technology	Maharishi Shikshan Sansthan	Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) and approved under Registrar of Society, Delhi, Administration Delhi	Village-Mangla, Tehsil and District-Bilaspur, Chhattisgarh (General Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Sanskrit Based courses/ Yoga, Vedic Science, Jyotish, Kirtan and Other Darshans • Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance • Fine Arts/Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts • Hotel Management/ Hospitality/Travel and Tourism • Arts/ Humanities/ Social Sciences/ Science • Engineering/Design"

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018 — श्रावण 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 7993/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005)
को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“12.	के. के. मोदी यूनिवर्सिटी	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2652, दिनांक 22-07-2003	ग्राम-महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड-491001	छत्तीसगढ़	● अभियांत्रिकी/डिजाईन ● वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त ● विज्ञान ● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.
13.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	वेद माता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार	उप पंजीयक हरिद्वार से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन क्र. : बही क्र. : 4 जिल्द क्र. : 47, पृष्ठ : 270-271 स. क्र. : 84 दिनांक 14-11-1969	ग्राम-सांकरा, कुम्हारी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	● संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम, योग, वैदिक विज्ञान एवं अन्य दर्शन ● विधि ● व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त ● ललित कला/प्रदर्शन कला/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला ● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/यात्रा एवं पर्यटन/जन संचार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						● कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान ● सूचना प्रौद्योगिकी ● अभियांत्रिकी/डिजाइन में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.”

नोट : धारा 11 की उप-धारा (1) में निर्धारित जमा राशि रुपये 5.00 करोड़ के स्थान पर इस प्रकरण में रुपये 50.00 लाख होगी.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 7993/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2018)

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION)
(AMENDMENT) ACT, 2018**

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule. 2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"12.	K. K. Modi University	Modi Innovative Education Society	Society registered under Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration Number 2652, date 22-07-2003	Village-Mahmara, Jalbandha Road, Tehsil and District-Durg, Chhattisgarh Pin-491001	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Engineering/Design • Commerce/ Management/Finance • Sciences • Hotel Management/ Hospitality/Tourism/ Travel
13.	Dev Sanskriti Vishwavi dyalaya	Ved Mata Gayatri Trust, Haridwar	Registered with Deputy Registrar Haridwar Registration No: Book No: 4, Folio No: 47, Page : 270-271, S. No.: 84 Dated 14-11-1969	Village-Sankra, Kumhari, District-Durg Chhattisgarh	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Sanskrit Based Courses, Yoga, Vedic Science and other Philosophy • Law • Business Administration/ Commerce/ Management/Finance

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Fine Arts/Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts • Hotel Management/ Hospitality/Travel and Tourism/Mass Communication • Arts/ Humanities/ Social Sciences/ Science • Information Technology • Engineering/Design"

Note : The deposit amount prescribed in sub-section (1) of Section 11 in this matter shall be Rs. 50.00 Lakhs in place of Rs. 5.00 Crores.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 जून 2020 — ज्येष्ठ 19, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

क्रमांक 4475/डी. 98/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-5-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 12 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005
(क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- अनुसूची का 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"14.	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	श्री गंगाजली एजुकेशनल सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक डी.आर. / डी.-दुर्ग/आर. क्र. 2005, दिनांक 17.02.2009	ग्राम-जुनवानी, भिलाई, तहसील एवं जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	- कम्प्यूटर साइंस - सूचना प्रौद्योगिकी - जैव प्रौद्योगिकी - बॉयो-इंफॉर्मेटिक्स - माइक्रोबॉयोलाजी - नैनोटेक्नोलॉजी - फॉर्मसी - बीमा - शारीरिक शिक्षा - शिक्षा विज्ञान - पुस्तकालय विज्ञान - होटल मैनेजमेंट - फैशन डिजाईनिंग विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम."

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

क्रमांक 4475/डी. 98/21-स/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-6-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 12 of 2020)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2020.

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2020.

**Short title, extent
and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 13 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

**Amendment of
Schedule.**

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"14.	Shri Shankara charya Professional University	Shri Gangajali Educational Society	Society Registered under Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No.44 of 1973).	Village- Junwani, Bhilai, Tehsil and District - Durg, Chhattisgarh	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses in – • Computer Science, • Information Technology, • Bio-Technology, • Bio-Informatics, • Microbiology, • Nanotechnology,

			Registration number D.R./D.- Durg/ R.No. 2005, dated 17.02.2009			• Pharmacy, • Insurance, • Physical Education, • Education Science, • Library Science, • Hotel Management, • Fashion Designing, Subjects."
--	--	--	--	--	--	--